भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH V 290557

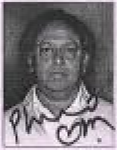

ट्रस्ट डीड

क्षेत्राधिकार उपनिबंधक, तहसील चन्दौसी, जनपद–सम्भल (उ०प्र०)
देय स्टाम्प – 1,100/– रुपया।

यह विलेख आज दिनांक 13/03/2015 को श्री कौशल नन्दन पुत्र स्व० श्री कृपानन्दन निवासी म०नं०–21, सुन्दर मोहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल के द्वारा निष्पादित किया गया। जिस पर श्री कौशल नन्दन द्वारा बतौर प्रबन्धक/मुख्य ट्रस्टी की हैसियत से हस्ताक्षर किये गये।

1. ट्रस्ट का नाम : कृपानन्दन ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय : म०नं०–21, सुन्दर मोहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।
   शाखा कार्यालय : देश के अन्य स्थानों पर भी ट्रस्ट के शाखा कार्यालय एवं शाखाऐं स्थापित की जा सकती है।
3. ट्रस्ट में लगाया गया धन : मुबलिग 40,000/– रुपया नकद।

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

[illegible] / [illegible] — चन्दौली

30 दिनांक 10/3/15

500

[illegible]

ट्रस्ट डीड — 40000/-

500 20 520 800

श्री [illegible] स्व० कृपानन्दन

पेशा [illegible] निवासी मौ० मुगल सिराय [illegible]

तहसील — चन्दौली

आज दिनांक 13/3/2015 [illegible]

[illegible]

उप-निबन्धक

चन्दौली

13/3/15

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 105935

1. श्री कौशल नन्दन पुत्र स्व० श्री कृपानन्दन निवासी म०नं०–21, सुन्दर मौहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।

– प्रबन्धक/सचिव

2. श्रीमती शशी वार्ष्णेय पत्नी श्री कौशल नन्दन निवासी म०नं०–21, सुन्दर मौहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।

– अध्यक्ष

3. श्रीमती प्रतिज्ञा वार्ष्णेय पत्नी श्री धीरज नन्दन निवासी म०नं०–21, सुन्दर मौहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।

– उपाध्यक्ष

4. श्री धीरज नन्दन पुत्र श्री कौशल नन्दन निवासी म०नं०–21, सुन्दर मौहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।

– कोषाध्यक्ष

उपरोक्त द्वारा उक्त 40,000/– रुपये की धनराशि लगायी गयी।

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

कौशलनन्दन ... चन्दौसी

दिनांक 13/3/15

श्री कौशलनन्दन उक्त प्रपत्र

दीपक वार्ष्णेय S/o स्व० हरिओम वार्ष्णेय नि० कूँचे साहा भण्डारी व बृजप्रकाश सागर S/o श्री जीवराज सिंह नि० रंगमहला

13/3/15 चन्दौसी

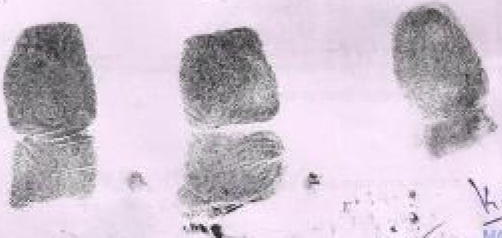

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

13/3/15

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 105934

कृपानन्दन ट्रस्ट के ट्रस्टी

4. ट्रस्ट के निम्नलिखित ट्रस्टी होंगे–

1. श्री कौशल नन्दन पुत्र स्व० श्री कृपानन्दन निवासी म०नं०–21, सुन्दर मौहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल। – मुख्य ट्रस्टी
2. श्रीमती दयावती देवी पत्नी स्व० श्री कृपानन्दन निवासी म०नं०–21, सुन्दर मौहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल। – ट्रस्टी
3. श्रीमती शशी वार्ष्णेय पत्नी श्री कौशल नन्दन निवासी म०नं०–21, सुन्दर मौहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल। – ट्रस्टी
4. श्रीमती प्रतिज्ञा वार्ष्णेय पत्नी श्री धीरज नन्दन निवासी म०नं०–21, सुन्दर मौहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल। – ट्रस्टी
5. श्री धीरज नन्दन पुत्र श्री कौशल नन्दन निवासी म०नं०–21, सुन्दर मौहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल। – ट्रस्टी
6. श्री निष्काम नन्दन पुत्र श्री कौशल नन्दन निवासी म०नं०–21, सुन्दर मौहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल। – ट्रस्टी
7. निवेदिता रस्तोगी पुत्री श्री गोपाल मोहन पत्नी श्री निष्काम नन्दन निवासी द्वारा बांके लाल उमाशंकर सर्राफ, बाजार गंज, मौम्मदी, जिला खीरी, वर्तमान निवासी म०नं०–21, सुन्दर मौहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल। –ट्रस्ट

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 105933

— 4 —

3. श्रीमती मेघा वार्ष्णेय तिवारी पत्नी श्री अभिषेक तिवारी म० नं० 1021, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली।
– ट्रस्टी

9 MAR 2015

5. कु० शैफाली वार्ष्णेय पुत्री श्री कौशल नन्दन निवासी म०न०–21, सुन्दर मौहल्ला, सिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल। – ट्रस्टी

5. ट्रस्ट के उद्देश्य

1. ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा बच्चों का नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित विकास करना।
2. ट्रस्ट का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एवं शोध संस्थानों की केन्द्रीय शिक्षा पद्धति उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सी.बी.एस.ई., आई.एस.ई., एवं विश्वविद्यालय शिक्षा पद्धति से स्थापना कराना एवं उनका संचालन करना।
3. ट्रस्ट का उद्देश्य विविध प्रकार की चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण की आपूर्ति हेतु नर्सिंग होम या चिकित्सा संस्थान/हॉस्पिटल निर्माण करना अथवा ट्रस्ट को प्राप्त नर्सिंग होम या चिकित्सा संस्थान का संचालन करना।
4. ट्रस्ट का उद्देश्य चिकित्सा, शिक्षा, पैरामैडीकल शिक्षा, फार्मास्युटिकल शिक्षा, नर्स प्रशिक्षण शिक्षा इत्यादि स्कूल, कॉलेज अथवा संस्थान स्थापित करना एवं उनका संचालन करना।
5. ट्रस्ट का उद्देश्य चिकित्सा कार्य के लिए वार्ड बॉय, ऑपरेशन थियेटर, सहायक स्टाफ एवं अन्य प्रकार के सहायक एवं सहयोगी स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु अलग–अलग विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार करना एवं एतदर्थ संस्थान स्थापित करना, सम्बन्धित पाठ्यक्रमों प्रशिक्षितों को प्रमाण पत्र प्रदान

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CE 105932

करना। प्रशिक्षुओं को प्रायोगिक प्रशिक्षण/कार्य अनुभव के लिए समुचित व्यवस्था प्रदान करना।

6. ट्रस्ट का उद्देश्य तकनीकि, व्यावसायिक, प्रबन्धकीय, विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना तथा संचालित करना।

7. ट्रस्ट का उद्देश्य निर्धन बालक बालिकाओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार से सम्बन्धित विभागों एवं संस्थाओं के सहयोग/सहायता से सुलभ हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना तथा संचालित करना। इस केन्द्र द्वारा सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, शिल्पकला, दस्तकारी, दरी व कालीन बनाना, ड्राइंग, प्रिंटिंग प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर/दिलाकर आत्मनिर्भर बनाना तथा आजीविका अर्जन के लिए जागरूकता पैदा करना।

8. ट्रस्ट का उद्देश्य बच्चों के व्यक्तित्व को समुन्नत करने के लिए क्रीड़ा केन्द्र, व्यायामशाला तथा खेल–प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना एवं उनका संचालन करना।

9. ट्रस्ट का उद्देश्य बालक बालिकाओं में सामुदायिक भावना विकसित करने के लिए पुस्तकालय, वाचनालय तथा ऑडिटोरियम की उचित व्यवस्था करना एवं संचालन करना।

10. ट्रस्ट का उद्देश्य समाज के उत्थान व नागरिकों के कल्याण हेतु पुस्तकालय, छात्रावास, आश्रय स्थल, वृद्धाश्रम, एवं विकलांग आश्रम, नारी उत्थान संस्थाओं, अनाथालय, विवाह स्थल, मन्दिर संस्थाओं एवं चिकित्सालयों की स्थापना करना एवं संचालन करना।

11. ट्रस्ट का उद्देश्य समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सत्संग, गोष्ठियों, सभाओं, जन जागृति अभियान, प्रवचन, रामायण, गीता, भागवत कथा, शिव पुराण, दुर्गा सप्तशती एवं अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कर नागरिकों में परस्पर एकता, भाईचारा एवं सहयोग प्रदान करना।

12. ट्रस्ट का उद्देश्य ऐसी संस्था (समिति) जिसका संचालन जन हित में ठीक नहीं चल रहा हो, ट्रस्ट से संचालन हेतु अपना प्रस्ताव देती है तो यह ट्रस्ट अपने ट्रस्टियों से विचार कर, ऐसी संस्था का सम्पूर्ण संचालन, अधिकार, लेन–देन प्रबन्ध, प्रस्ताव पारित करके अपने हाथों में ले सकता है जो

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 477899

इस ट्रस्ट के अनुसार ऐसी संस्था को ट्रस्ट के रूप में चलायेंगे।

13. ट्रस्ट का उद्देश्य मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की संबद्धता के आधार पर उच्च शिक्षा उन्नयन कार्यक्रमों का संचालन करना।

14. ट्रस्ट का उद्देश्य केन्द्र और राज्य सरकारों की विविध शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, बाल श्रमिकों की शिक्षा, विविध भाषाओं की शिक्षा इत्यादि के कार्यक्रमों को अंगीकार करते हुए संचालित करना।

15. ट्रस्ट का उद्देश्य केन्द्र और राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नौजवानों के सार्वजनिक शिक्षण/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा संचालन करना। विद्यानुराग बनाये रखने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।

16. ट्रस्ट का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गों के उत्थान हेतु शैक्षिक, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यक्रम तैयार करना। सरकार या अन्य उदार संस्थाओं का वित्तीय संरक्षण प्राप्त करना एवं क्रियान्वित करना।

6. **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण भारतवर्ष**

ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य :-

1. ट्रस्ट की आय के प्रमुख स्त्रोत ट्रस्ट की सदस्यता शुल्क, जनसामान्य द्वारा प्रदत्त दान, केन्द्र या राज्य अथवा किसी अर्द्धसरकारी या लिमिटेड/प्राइवेट संस्था द्वारा प्रदत्त सहयोग/ सहायता एवं अनुदान, ट्रस्ट द्वारा भवन निर्माण की व्यवस्था के लिए बैंक, प्राइवेट कम्पनी अथवा फाइनेन्सर से प्राप्त ऋण तथा जनहित में संचालन के लिए हस्तानान्तरित संस्था (समिति) की सम्पत्ति है। नियमपूर्वक सम्पूर्ण आय की धनराशि ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खातों में जमा की जायेगी। इस धनराशि को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनहित में खर्च किया जायेगा। उक्त धनराशि के लिए लेन-देन करने (बैंक खाता आपरेट) के लिए मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर होंगे। परन्तु

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

BB 477898

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

— ७ —

2 MAR 2015

10000/– रुपया से अधिक की राशि मुख्य ट्रस्टी (प्रबंधक) कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित की जा सकेगी।

2. भवन निर्माण की व्यवस्था हेतु मुख्य ट्रस्टी द्वारा बैंक, प्राइवेट कम्पनी, फाइनेन्सर आदि से राष्ट्रीय हित में ब्याज पर इंतजाम किया जायेगा। इसके लिए ट्रस्ट की अनुमति अनिवार्य होगी, आधे से अधिक की संख्या मान्य होगी।

3. मुख्य ट्रस्टी को अधिकार होगा कि बैंक खाता आपरेट करने या भवन निर्माण हेतु ऋण प्राप्त करने के दायित्व निर्वहन के लिए किसी भी ट्रस्टी को नियुक्त कर सकेगा।

3. ट्रस्टियों की नियुक्ति :–

1. ट्रस्ट में प्रबंधक पद मुख्य ट्रस्टी के पास आजीवन रहेगा। इनकी मृत्यु की बाद उनका मनोनीत अधिकारी उनका वंशज/उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का प्रबंधक होगा। मुख्य ट्रस्टी को अपने जीवनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी प्रबंधक को नामित करना होगा।

2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रति पाँच वर्ष के लिए की जायेगी।

3. ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण आजीवन ट्रस्टी सदस्य होंगे।

4. ट्रस्ट की सदस्यता :–

1. ट्रस्टी सदस्य बनाये जाने का एकमात्र अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।

2. कुल ट्रस्टियों की संख्या अधिकतम इकतालीस तक रह सकेगी।

3. भविष्य में ट्रस्ट का सदस्य बनने के लिए रूपया पाँच लाख (5,00,000/–) या इससे अधिक अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति प्रदान करेगा और ट्रस्ट बोर्ड उसे ट्रस्टी बनाने की लिखित अनुमति देगा तब ही वह व्यक्ति इस ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी बन सकेगा।

10. ट्रस्ट संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समिति में नामित सदस्य :–

1. ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थायें व अन्य संस्थायें जो ट्रस्ट द्वारा संचालित है कि प्रबंध समिति

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

31AA 482952

मे मुख्य ट्रस्टी ही प्रबंधक होगा, अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिए मुख्य ट्रस्टी जिसे उपयुक्त समझेंगे, आजीवन एवं विशिष्ट ट्रस्टी सदस्यों में से भेज सकेगा। ऐसे पदाधिकारी एवं सदस्य पद हेतु भेजे जाने वाले आजीवन व विशिष्ट ट्रस्टी सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक ग्यारह होगी।

2 विशिष्ट सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को मुख्य ट्रस्टी द्वारा विशिष्ट ट्रस्टी सदस्य को तीन वर्ष के लिए नामित किया जा सकेगा। ऐसे सदस्यों की संख्या अधिकतम पाँच होगी। ऐसे ट्रस्टी सदस्यता शुल्क से मुक्त रहेंगे। यहाँ यह भी निर्धारित है की मुख्य ट्रस्टी अपने विवेक से निर्धारित समय से पूर्व भी इनका कार्यकाल समाप्त करके नये विशिष्ट ट्रस्टियों का मनोनयन कर सकेगा।

3 ट्रस्ट के सृजन कर्ता कौशल नन्दन है। कौशल नन्दन इस ट्रस्ट प्रबन्ध समिति व ट्रस्ट समिति की प्रबन्ध समिति के आजीवन प्रबंधक/सचिव रहेंगे। शेष पदाधिकारियों व सदस्यों को मुख्य ट्रस्टी कौशल नन्दन निर्धारित आगामी वर्षों के लिए अधिकतम तीन विशिष्ट ट्रस्टी व आजीवन ट्रस्टीगणों में से नामित किया जा सकेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को पुनः भी आगामी वर्षों के कार्यकाल के लिए मुख्य ट्रस्टी द्वारा ही नामित किया जा सकेगा।

11. ट्रस्ट मंडल प्रमुख :-

1 ट्रस्ट के प्रबंधक/सचिव श्री कौशल नन्दन है। श्री कौशल नन्दन ट्रस्ट मंडल के प्रमुख है। वे ही इस पद पर जीवन पर्यन्त रहेंगे।

2 आगामी ट्रस्ट मण्डल प्रमुख, प्रबंधक/सचिव की नियुक्ति कौशल नन्दन द्वारा ही की जायेगी।

3 ट्रस्ट मंडल प्रमुख (प्रबंधक) की मृत्यु के बाद उनका वंशज ही ट्रस्ट का प्रमुख एवं प्रबंधक होगा।

4 आजीवन तथा विशिष्ट ट्रस्टीगण यथावत आजीवन ट्रस्टी बने रहेंगे।

12. ट्रस्टियों की संख्या :-

[illegible] में ट्रस्टियों की संख्या मुख्य ट्रस्टी को मिलाकर अधिकतम 9 है। जिसमें वर्तमान में निम्न पदाधिकारी व सदस्य रहेंगे।

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

31AA 482951

श्री कौशल नन्दन पुत्र स्व० श्री कृष्णनन्दन निवासी म०नं०-21, सुन्दर मोहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।

– प्रबन्धक/सचिव

2. श्रीमती शशी वार्ष्णेय पत्नी श्री कौशल नन्दन निवासी म०नं०-21, सुन्दर मोहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।

– अध्यक्ष

3. श्रीमती प्रतिक्षा वार्ष्णेय पत्नी श्री धीरज नन्दन निवासी म०नं०-21, सुन्दर मोहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।

– उपाध्यक्ष

4. श्री धीरज नन्दन पुत्र श्री कौशल नन्दन निवासी म०नं०-21, सुन्दर मोहल्ला, बिसौली गेट, चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल।

– कोषाध्यक्ष

13. ट्रस्टी मंडल पदाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष

ट्रस्टी मंडल बहुमत से किसी भी व्यक्ति को जो ट्रस्ट के कार्य में रूचि ले सके तथा वह ट्रस्ट के नियमों एवं उद्देश्यों में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हो, ट्रस्ट के संचालन हेतु अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा।

(1) समय-समय पर ट्रस्ट की सभाओं की अध्यक्षता करना।

(2) ट्रस्ट मंडल की सभा में किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना।

(3) संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्य की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हो।

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

[illegible]

[illegible]

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH — 19 —

31AA 482954

2. उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करेंगे।

3. प्रबंधक :

(1) ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, अध्यक्ष के आदेश से मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग की कार्यवाही लिखना।

(2) ट्रस्ट के वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा व वार्षिक बजट तैयार करके स्वीकृति हेतु प्रबन्ध समिति के समक्ष मीटिंग में रखना।

(3) कार्यों की देखभाल करना व ट्रस्ट के वार्षिक हिसाब किताब आदि की ऑडीटर या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से जाँच कराना और जाँच रिपोर्ट व हिसाब किताब को प्रबन्ध कमेटी व साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(4) सभा के सभी प्रस्ताव एवं निर्णय ट्रस्ट मंडल के प्रबंधक/मुख्य ट्रस्टी के आधीन रहेंगे।

(5) ट्रस्ट की कार्यकारिणी समिति को आपात स्थिति में देखकर उसे भंग करना एवं कार्यकारिणी समिति के समस्त अधिकार अपने में निहित करके दो माह में नयी कार्यकारिणी समिति को विधिवत गठित करना।

(6) ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना व सदस्यों/दाताओं को उसकी रसीद देना।

(7) ट्रस्ट के समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित करना एवं उनका समय समय पर निरीक्षण कराना।

(8) ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थाओं/ कालेजों व अन्य इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों एव कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। यह कार्य सचिव की सलाह पर होंगे। एवं उनकी सेवा शर्तों के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।

(9) ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी विधि सलाहकार के सहयोग से करना

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रू.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

31AA 482953

5 FEB 2015

व करवाना।

(10) संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों, बंधक विलेखों एवं बिल वाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

(11) ट्रस्ट समिति के परामर्श के पश्चात किसी सुयोग्य व्यक्ति को बिना किसी सदस्यता शुल्क के अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए उसे विशिष्ट ट्रस्टी सदस्य तथा कार्यकारिणी समिति का सदस्य या पदाधिकारी बना सकेगें।

(12) किसी भी वाद–विवाद की स्थिति में बिना प्रबंधक की अनुमति के कोई भी सदस्य/पदाधिकारी/विशिष्ट ट्रस्टी न्यायालय की शरण नहीं ले सकेगा।

(13) आकस्मिक व्यय हेतु दस हजार रूपये तक अपने पास नकद रखना व व्यय करना।

(14) संस्था के आजीवन व विशिष्ट ट्रस्टी सदस्य द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता व संस्था विरोधी कार्य करने पर प्रमुख ट्रस्टी/प्रबंधक उन्हें छः वर्ष तक की अवधि के लिए सभा से निलंबित कर सकता है।

(15) संस्था विरोधी कार्य एवं अनुशासनहीनता करने पर किसी भी पदाधिकारी व सदस्य की सदस्यता समाप्त करना चाहे वह कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा का सदस्य हो किन्तु इसका अनुमोदन कार्यकारिणी समिति के बहुमत से करना आवश्यक होगा।

4. कोषाध्यक्ष :–

ट्रस्ट मंडल के प्रबंधक के मार्गदर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। मुख्य ट्रस्टी के मार्गदर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धन संग्रह व व्यय किया जा सकेगा। कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय–व्यय का व हिसाब किताब का लेखा जोखा रखेगा। एवं नियमित रूप से कानून अनुसार ऑडिट आदि करवायेगा। संस्था के आय–व्यय बही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जाँच हेतु मुख्य ट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — 12 —

39AC 490571

2 MAR 2015

अपने पास आकस्मिक व्यय हेतु नकद दो हजार पाँच सौ रुपया (2500/-) तक अपने पास रखना एवं ट्रस्ट के कार्यों में आवश्यक होने पर व्यय करना।

14. विविध:-

ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों व अन्य संस्थाओं के लिए प्रबंध समिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए प्रबंधक/मुख्य ट्रस्टी चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

2. ट्रस्ट द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान व अन्य धर्मार्थ संस्थाओं में प्रबंधक पद मुख्य ट्रस्टी के पास आजीवन रहेगा। तथा शेष पदाधिकारियों का चयन ट्रस्टी सदस्यों में से ही होगा। जिन्हें मुख्य ट्रस्टी द्वारा पाँच वर्ष के लिये नामित किया जायेगा।

3. कृपानन्दन ट्रस्ट रजि. के सृजनकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक/मुख्य ट्रस्टी कौशल नन्दन निवासी, मकान नं 21, सुन्दर मौहल्ला, चिरौंजी गेट, चन्दौसी जिला सम्भल हैं। इस ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान, संस्थाएं एवं इकाईयों को विधिवत सुचारू रूप से संचालित करने का पूरा अधिकार व दायित्व कौशल नन्दन का ही रहेगा।

15. ट्रस्टियों में से किसी भी ट्रस्टी का [illegible], मृत्यु या किसी भी नैतिक दोष एवं हैसियत से कार्य करने में असमर्थता की वजह से यदि ट्रस्टी मंडल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास करना या 1/3 बहुमत आद आधार पर सदस्यता/पद समाप्त हो जाता है तो ऐसे पद/स्थान के रिक्त होने पर ट्रस्ट के प्रबन्धक को रिक्त स्थान को भरने अथवा नया ट्रस्टी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

संस्थान के आजीवन एवं विशिष्ट ट्रस्ट सदस्यों को ट्रस्ट सम्पत्ति या उसके किसी भाग को ट्रस्ट हित में निस्तारित करने का अधिकार होगा। इस सम्बन्ध में वांछित प्रस्ताव उक्त सदस्यों में से एकमत से पारित किया जाना आवश्यक होगा।

मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार रहेगा कि वह ऐसे ट्रस्टी को पद से हटा सकता है तथा उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है जो उक्त ट्रस्ट के लिए अवांछनीय अथवा ट्रस्ट की उद्देश्य पूर्ति हेतु बाधक हो। अपने

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

[illegible] [illegible] पुत्र स्व. [illegible] [illegible]

[illegible] 41 दिनांक 10/2/15

[illegible] मूल्य 10

[illegible]

[illegible]

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

39AC 490570

उक्त निर्णय को मुख्य ट्रस्टी द्वारा कार्यकारिणी के बहुमत से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।

16. ट्रस्ट के प्रबंधक/मुख्य ट्रस्टी को ट्रस्ट सम्पत्ति को ऋण के एवज में बंधक रखने तथा ट्रस्ट के हित में किसी भी सम्पत्ति को किराये पर (लीज) लेने का भी अधिकार हासिल होगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्रबंधक को ऋण प्राप्त करने के लिए अथवा ऋण के एवज में ट्रस्ट सम्पत्ति को बंधक रखने के लिए अधिकृत किया जावेगा। उक्त प्रस्ताव के अभाव में मुख्य ट्रस्टी / प्रबंधक को उक्त अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्य ट्रस्टी द्वारा राजी व खुशी से बिना किसी के बहकावे व सिखावे व बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूरे होशोहवास में अपने परिवारजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

फोटो गवाह की सनाख्त पर लोकेन्द्र शर्मा एडवोकेट (चैम्बर नं. 10 [illegible] डी.जे. कोर्ट कम्पाउन्ड, चन्दौसी जिला सम्भल) ने प्रमाणित किये है।

हस्ताक्षर व निशान अंगूठा कौशल यादव

गवाह नं. 1 : दीपक वार्ष्णेय पुत्र स्व. हरिओम वार्ष्णेय नि० [illegible], चन्दौसी, जिला सम्भल (उ०प्र०)

गवाह नं. 2 : [illegible] सागर पुत्र श्री [illegible] सिंह नि० [illegible] टोला, चन्दौसी, जिला सम्भल (उ०प्र०)

आज दिनांक 13/03/2015 को यह ट्रस्ट डीड लोकेन्द्र शर्मा एडवोकेट के निर्देशन में मुझ सुशान्त कुमार द्वारा कैम्पस रोड, चन्दौसी पर कम्प्यूटराइज टाइप किया गया।

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

[illegible] 42 [illegible] 10/3/15

[illegible] 10

TF 103 345

370

[illegible]

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 993378

:: [illegible] ::

[illegible] 21, [illegible]

[illegible]

[illegible] 2020-21 [illegible]

[illegible]

[illegible]

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 326368

(2)

क्योंकि मैंने घोषितकर्ता प्रबन्धक /मुख्य ट्रस्टी -"कृष्णानन्दन ट्रस्ट शिक्षा प्रधान कार्यालय मकान नं021 सुन्दर मोहल्ला-बिसौली गेट चन्दौसी तहसील चन्दौसी जनपद सम्भल है, [illegible] में उक्त ट्रस्ट डीड दिनांक-12.03.2013ई0को कार्यालय उप निबन्धक चन्दौसी में पंजीकृत कराई थी ।

ह0/ [illegible] कृष्णानन्दन-

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

[illegible] 2017

[illegible] 962

1

पास पत्र

फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	पृष्ठों की संख्या
500.00	60	560.00	20

नाम की राशि

श्री कौशल नन्दन

पुत्र श्री ब्रजनन्दन

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी मि नं0 21 सुन्दर मौहल्ला सिरौली गेट चन्दौसी तह0 चन्दौसी जिला

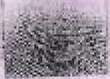

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 4/5/2017 समय 1:53PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजवीर सिंह यादव

प्रभारी उपनिबन्धक

चन्दौसी

4/5/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री कौशल नन्दन

पुत्र श्री ब्रजनन्दन

पेशा व्यापार

निवासी मि नं0 21 सुन्दर मौहल्ला सिरौली गेट चन्दौसी तह0 चन्दौसी जिला सम्भल

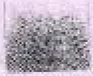

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान दीपक वार्ष्णेय

पुत्र हरी ओम वार्ष्णेय

पेशा व्यापार

निवासी नि मो0 पुरानी मण्डी चन्दौसी तह0 चन्दौसी जिला सम्भल

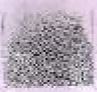

व [illegible]

पुत्र वीरेन्द्र सिंह

पेशा व्यापार

निवासी नि मो0 सेन्ट टोला चन्दौसी तह0 चन्दौसी जिला सम्भल

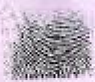

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजवीर सिंह यादव

प्रभारी उपनिबन्धक

चन्दौसी

4/5/2017

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 35AA 326152

॥3॥

जिसका पंजीयन उपरोक्त कार्यालय में बही नं0 4 जिल्द-163 के पृष्ठ-345 से 370 में नम्बर-33 पर हुआ है। जिसमें पृष्ठ-3 के क्रम सं0 2 में वर्णित ट्रस्टी- श्रीमती दयावती देवी पत्नी स्व0श्री पूरनानन्द नि0म0नं0 21, सुन्दर मोहल्ला-शिवाजी गेट चन्दौसी तहसील चन्दौसी जनपद सम्भल का दिनांक 24.03.2016 को देहान्त हो चुका है जिसके स्थान पर -"अभिषेक कुमार पुत्र श्री श्यामनन्दन तिवारी नि0-102। द्वितीय फ्लोर मुखर्जी नगर दिल्ली-" को ट्रस्टी नामित किया गया।

तथा उपरोक्त वर्णित ट्रस्ट डीड के पृष्ठ सं0-8 की धारा -1 में -" मैं मुख्य ट्रस्टी ही प्रबन्धक होगा-" के बाद तथा -" अन्य पदाधिकारियों-" से पूर्व यानि दोनों के बीच-का इबारत -"मुख्य ट्रस्टी स्वयं तथा आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्टियों में से किसी भी ट्रस्टी को प्रबन्धक नामित कर सकेगा -" जोड़ा -

ह0/ नि0उ0 कौशलनन्दन-

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

58 [illegible]

साक्षी

Registration No.: 52   Year: 2017   Book No.: 4

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

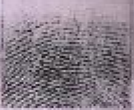

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

25 FEB 2015

12AD 518791

।।4।।

तहरीर होने अर्थात टाईप होने से रह गयी है इस कारण संशोधन की आवश्यकता हुई। जिसको किया जाना अति आवश्यक है।

ह0/नि0आ0 कौशलनन्दन-

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

[illegible]

[illegible] गवाह

Registration No.: 52 Year: 2017 Book No.: 4

W1 दीपक वार्ष्णेय

हरी ओम वार्ष्णेय

नि० मो० बुद्धि महल चन्दौसी तह० चन्दौसी जिला [illegible]

व्यापार

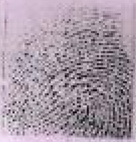

W2 बुद्धप्रकाश सागर

नौबत सिंह

नि० मो० तंवर टोला चन्दौसी तह० चन्दौसी जिला सम्भल

व्यापार

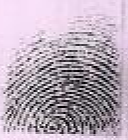

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AD 518790

(5)

अतः इस विलेख के द्वारा उपरोक्त वर्णित ट्रस्ट डीड दिनांक-13-03-2015 नम्बरी-33 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय उप निबन्धक चन्दौसी के पृष्ठ-3 के क्रमांक -2 में श्रीमती प्रभावती देवी पत्नी स्वर्गीय कृपानन्दन निवासी मकान-21, सुन्दर मौहल्ला-विशनोई गेट चन्दौसी तहसील चन्दौसी जिला सम्भल -ट्रस्टी - के स्थान पर-"अभिषेक कुमार पुत्र श्री श्यामनन्दन तिवारी निवासी-1021 विजय नगर मुखर्जी नगर दिल्ली--ट्रस्टी-" पढ़ा जाये ---

ह0/ नि0सं0 कौशलनन्दन-

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27 FEB 2017

12AD 518789

(6)

तथा पृष्ठ सं0-6 की सतर-1 में-" में मुख्य ट्रस्टी ही प्रबन्धक होगा-" के बाद तथा-"अन्य पदाधिकारियों -" से पूर्व अर्थात दोनो के बीच यह वाक्य -"मुख्य ट्रस्टी स्वयं तथा आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्टीयों में से किसी भी ट्रस्टी को प्रबन्धक नामित कर सकेगा-" बढ़ा जाये। वर्तमान संशोधन करने से उपरोक्त ट्रस्ट डीड की प्रकृति आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। दस्तावेज द्वारा उपरोक्त ट्रस्ट डीड दिनांकित-13.03.2013 नम्बरी-33 का पूरक पत्र होगा।

ह0/नि0बा0 कौशलनन्दन-

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CV 585817

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BG 994942

[illegible]

कृपा नन्दन ट्रस्ट की उ0त0 का भाग रहेगा--

ह0/- रि0 अ0 जी शतनन्दन

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

[illegible]

[illegible]

[illegible] 16

[illegible] स्वास्थ्य विभाग

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 327364

।।9।।

तथा दोनों की ठीक प्रभावी रहेगी --

ह0/निष्पादकों हस्ताक्षर

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

[illegible]

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

12AD 518792

अतः मैंने भली प्रकार सोच व समझकर मन इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में यह संशोधन/पूरक पत्र तहरीर करा दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

ह0/नि0उ0 [illegible]-

दस्तावेज हाजा पर मुकिर का निशान फोटो हम गवाहान की पहचान पर लोकेन्द्र शर्मा एडवोकेट चन्दौसी के द्वारा प्रमाणित है।

गवाह-1-दीपक वार्ष्णेय पुत्र स्व0 हरिओम वार्ष्णेय नि0 मो0 [illegible] चन्दौसी जनपद सम्भल।

ह0---

गवाह नं02-पुष्पकान्त सागर पुत्र श्री [illegible] नि0 मो0 [illegible] चन्दौसी जनपद सम्भल।

ह0---

तहरीर तारीख 28-04-2017ई0 को मुकाम चन्दौसी व मसौदा लोकेन्द्र शर्मा एडवोकेट चन्दौसी के द्वारा मो0 [illegible] ने टाइप किया।

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School

52

28-04-2017

आज दिनांक **04/05/2017** को

बही सं **4** जिल्द सं **194**

पृष्ठ सं **285** से **304** पर क्रमांक **52**

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राजवीर सिंह यादव
प्रभारी उपनिबन्धक
चन्दौसी
4/5/2017

PRINCIPAL
GLOBAL HERITAGE
International School

MANAGER
GLOBAL HERITAGE
International School